न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 58 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

सोहनलाल पिता वख्तावरलाल जी डांगी, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. लेहरूलाल पिता गुलाब जी गुरू, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. जगन्नाथ पिता चुन्नीलाल जी गुरू, निवासी साकरोदा हाल मकान नंबर 28, शान्ति नगर, मधु नर्सरी के पीछे, सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)

2ए. किशनलाल पिता चुन्नीलाल जी गुरू, निवासी साकरोदा हाल सेक्टर 9, कच्ची बस्ती मकान नंबर 9, इण्डियन गैस ऑफिस के पीछे, उदयपुर।

3. श्रीमती फेफा बाई (पिता चुन्नीलाल जी) पत्नी किशन जी गुरू, निवासी गर्ग मोहल्ला, खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मदाम बाई (पिता चुन्नीलाल जी) पत्नी सुखलाल जी गुरू, निवासी गर्ग मोहल्ला, खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. राधाकिशन पिता रतनलाल जी गुरू, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. सोहनलाल पिता रतनलाल जी गुरू, निवासी साकरोदा हाल C/o लोगर जी मेनारिया, दूध तलाई, पानेरियों की मादड़ी, हिरण मगरी थाना के सामने, उदयपुर (राज.)
7. रामेश्वर पिता स्वर्गीय ताराचन्द जी गुरू, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. मदनलाल पिता स्वर्गीय ताराचन्द जी गुरू, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती मनोरी बाई (पिता स्व. ताराचन्द जी) पत्नी नानालाल जी गुरू, निवासी विजनवास हाल साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. घासी पिता भगवान जी गुरू, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

11. कमलचन्द पिता भाणा जी डांगी, निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती प्यारी बाई पिता दल्ला जी डांगी, निवासी दरोली, हाल निवासी भलों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 26.10.2010 प्र.सं. 300/07

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री ओंकार लाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1 व 11
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रे. सं. 13

———:::———

निर्णय **दिनांक 05–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 एवं शिवलाल द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार पक्षकारान का सजरा है, जिसमें मूल पुरूष नंगा जी के चार पुत्र गुलाब, चुन्नीलाल, भगवान व रतनलाल होकर चारों फोत हो चुके हैं। गुलाब के पुत्र वादीगण हैं, चुन्नीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5, भगवान के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 व 7 तथा रतनलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 8 व 9 हैं। गांव साकरोदा में वाद पत्र की कलम संख्या 2 की परिशिष्ठ ''क'', ''ख'' व ''ग'' की भूमियां स्थित हैं, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर वादीगण का 1/4 हिस्सा है। अतएवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होकर दिनांक 27–01–2004 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी

की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर आपत्तियों का निराकरण करने के बाद दिनांक 09–10–2006 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 494/2002 निर्णय दिनांक 09–10–2006 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 267/2006 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 व 12 द्वारा प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27–02–2007 को स्वीकार करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव तलब कर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

इस न्यायालय के उक्त प्रेक्षण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 300/2007 दर्ज किया जाकर दिनांक 26–10–2010 को अंतिम डिक्री पारित की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–06–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–10–2010 की हकरसी का आवेदन दिनांक 04–09–2013 को प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय आर.ए.ए. न्यायालय द्वारा दिनांक 09–05–2013 को किया गया, उसके बाद अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से विचार विमर्श कर अधिवक्ता की राय से नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। देरी का सद्भाविक कारण हैं। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

इसी के साथ अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ प्रकरण संख्या 300/2007 हकरसी प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा.दी. एवं इस आर.ए.ए. न्यायालय के मुकदमा नंबर 14/2015 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलियां प्रस्तुत की। उक्त दोनों दस्तावेज न्यायालय आदेश की प्रमाणित प्रतियां होने एवं प्रासांगिक होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा देते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2010 को अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया, जिसकी पालना में सभी सहखातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हो गयी, जिसके कई वर्षो बाद अपीलान्ट द्वारा हकरसी का

आवेदन गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–07–2015 को खारिज कर दिया गया, जिसकी प्रथम अपील आए.ए.ए. न्यायालय में प्रस्तुत होने पर आप न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09–05–2017 से प्रथम अपील खारिज कर दी गयी। अपीलान्ट को सारी जानकारी होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2010 की अपील 8 वर्षो बाद प्रस्तुत की गयी है, जबकि अधिकतर जमीन खाते होने के बाद आगे विक्रय हो चुकी है तथा नये क्रेतागण खातेदार बन चुके हैं। अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन में जो देरी के कारण दर्शाये हैं वह समुचित एवं सद्भाविक नहीं होने के कारण अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 11 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

→ हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय विभाजन के मूलवाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2010 को अंतिम डिक्री पारित की गयी है, जिसके सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय में इजराय की कार्यवाही की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा आदेश 21 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 4/2013 दर्ज किया जाकर दिनांक 06–07–2015 को उक्त आवेदन खारिज कर दिया, जिसकी प्रथम अपील इस न्यायालय में होने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 14/2015 निर्णय दिनांक 09–05–2017 से उक्त प्रथम अपील खारिज कर दी गयी। अपीलान्ट द्वारा इजराय की कार्यवाही के विरूद्ध आवेदन वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया, जिससे सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2010 को तो आवेदन प्रस्तुत करते समय व्यक्त रूप से अवश्य थी, परन्तु अपीलान्ट द्वारा मूल फाईनल डिक्री की अपील करने के स्थान पर जिस विधिक उपचार का सहारा लिया गया व इजराय की कार्यवाही के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया

गया व उसके खारिज हो जाने के बाद अपील की कार्यवाही की गयी। जब एक विधिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाकर उसका आवेदन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा उसकी प्रथम अपील भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09–05–2017 को खारिज की जा चुकी है। यदि अपीलान्ट इस न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट था तो उसे इसके विरूद्ध द्वितीय अपील करनी चाहिए थी, जो नहीं की जाकर अपीलान्ट द्वारा पुनः नया वादकरण मूल डिक्री के विरूद्ध इतने वर्षो बाद अपील का सहारा लिया गया है, जबकि उसे व्यक्त रूप से वर्ष 2013 में तो अधिनस्थ न्यायालय के मूल डिक्री दिनांक 26–10–2010 की जानकारी आवश्यक रूप से हो चुकी थी। अपीलान्ट को कोई भी न्यायालय यह स्वतंत्रता नहीं दे सकता कि वह जब चाहे किसी प्रकरण में एक बार विधिक उपचार ले तथा उक्त उपचार में असफल होने के बाद समान आधारों पर वह किसी अन्य धाराओं में समान प्रकरण को पुनः मयाद विरूद्ध जाकर न्यायालय में पुनः नया वाद करण संस्थित करे। प्रकरण में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 हाई कोर्ट, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 हाई कोर्ट, आर.आर.टी. 2009–10 (Supp.) पेज 203, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 सुप्रिम कोर्ट एवं आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 788 हाई कोर्ट प्रस्तुत की, जो इस प्रकरण से पूर्णतया सुसंगत हैं।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा भी न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1998 पेज 319, आर.आर.डी. 1999 पेज 173, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 783 एवं आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 221 प्रस्तुत की गयी, जिनमें यह आख्यापित किया गया है कि प्रकरण में गुणावगुण पर भी विचार किया जाना चाहिए सिर्फ मयाद के आधार पर प्रकरण खारिज नहीं करना चाहिए। इस प्रकरण में हम सिर्फ मयाद पर प्रकरण खारिज नहीं कर रहे हैं, अपितु अपीलान्ट द्वारा जो आधार लिये गये हैं, उन्हीं आधारों पर उसके द्वारा इजराय के प्रकरण में आपत्तियां प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उसकी अपील खारिज की जा चुकी है। अर्थात समान प्रकरण में, समान आपत्तियों पर इस न्यायालय द्वारा इजराय की अपील इन अपील आधारों पर पूर्व में निर्णय किया जा चुका है। अतः अब पुनः इस प्रकरण में अपने स्वयं के उक्त अपील आधारों पर किये गये पूर्व निर्णय में इस न्यायालय द्वारा

किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न तो विधिक है न ही औचित्यपूर्ण। किसी व्यथित पक्षकार को कानून कभी भी यह हक नहीं देता कि वह किसी न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट होकर विधि के किन्हीं प्रावधानों के तहत किसी न्यायालय में कार्यवाही करें तथा पुनः अपील करें तथा इन वादकरणों पर जब उसे राहत नहीं मिले तो वह उसके स्वयं के द्वारा चयनित विधिक प्रक्रिया को जिसे उसने स्वयं चुना था, उसे उसी अवस्था में छोड़कर पुनः नया वादकरण किन्हीं अन्य समान विधि के प्रावधानों के तहत पेश कर अंतहीन वादकरण को जारी करे। यदि ऐसा किसी प्रकरण में किया जाता है तो वादकरणों की अनंतता बनी रहेगी तथा किसी भी पक्षकार को विधि के प्रावधानों का अनावश्यक दोहन कर किसी अन्य पक्षकारों को अंतहीन वादकरण में धकेलेने को अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह न सिर्फ पक्षकारों अपितु न्यायालय समय के साथ भी नाइंसाफी होगी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार इस प्रकरण की अपील आधारों पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 14/2015 में आख्यापक निर्णय पारित किया जा चुका है अतएवं अब इन्हीं अपील आधारों पर पुनः अपील का निर्णय किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। समग्र रूप से हम इस अपील को स्पष्ट रूप से मयाद बाधित मानते हैं तथा गुणावगुण पर भी इस प्रकरण में पूर्व में अपील संख्या 14/2015 में दिनांक 09–05–2017 को निर्णय किया जा चुका है तद्नुसार इस न्यायालय के अभिमत में यह अपील अब इस न्यायालय में सुनवाई हेतु विधिक रूप से पोषणीय नहीं हैं तथा गुणावगुण पर भी अपील पोषणीय नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

सोहनलाल पिता वख्तावरलालजी डांगी
निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा,
जिला उदयपुर

बनाम

लेहरूलाल पिता गुलाब जी गुरू
निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**58 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....26**.....माह.....**10**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**....माह.....**03**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ओकारलाल डांगी**..... मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री संजय बोहरा .....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**03**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।